



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2024/डी-8657 दिनांक:-25-11-24

अभिस्वीकृति (Acknowledgement)

(प्रारूप-य)

श्री सुनील मोदी पुत्र श्री लल्लू प्रसाद मोदी,
श्री अनिल मोदी पुत्र श्री लल्लू प्रसाद मोदी,
श्री हरिशंकर खण्डेलवाल पुत्र श्री भगवान सहाय,
निवासी-रामगढ, पचवारा तह. लालसोट,
दौसा।

विषय:- निजी खातेदारी योजना कृष्णा सरोवर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 26, 27, 28, 29, 30 व 31 कुल क्षेत्रफल 1239.45 वर्ग गज हेतु Ar. Arun sharma द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण मानचित्र दस्तावेजों से संबंधित दस्तावेजों की अभिस्वीकृति (Acknowledgement) जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित निजी खातेदारी योजना कृष्णा सरोवर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 26, 27, 28, 29, 30 व 31 कुल क्षेत्रफल 1239.45 वर्ग गज के भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदन/प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकीविद से अनुमोदित मानचित्र Stilt + 18mt. कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं व पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार राशि जविप्रा कोष में प्राप्त कर लिये गये हैं।

आप द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा, मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के विनियम संख्या 6(i) एवं 6(ii) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियमों के अनुसार ही किया जाना होगा, अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।

अतः आप द्वारा पंजीकृत तकनीकीविद से अनुमोदित मानचित्रों अनुसार भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चिता करते हुये भवन निर्माण किया जा सकेगा। स्वामित्व संबंधी कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

भवन/कंप्यूटर और/अथवा डेटा/जोन 09/लाल नए 2024.docx

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004]

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसटेशन: (8320): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल { -----@gmail.com}